V2-14500

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

The Gazett e of

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241] No. 241] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2004/ज्येष्ठ 18, 1926

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2004/JYAISTHA 18, 1926

प्रभारी

रा० वि० एकक

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 25 मार्च, 2004

सं. फेमा. 115/2004-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना या उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 351(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (घ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 4/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना या उधार देना) विनियमावली, 2000 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना या उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।
- (ii) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना या उधार देना) विनियमावली, 2000 में विनियम 7 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

- (i) शीर्षक को ''अनिवासियों को रुपये में ऋण'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा
- (ii) उप-विनियम (आ) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, नामतः :
- ''(इ) प्राधिकृत व्यापारी के निदेशक मंडल के ऋण नीति के अनुसार, किसी भी प्रयोजन के लिए:

बशर्ते कि--

- (क) ऋण अकेले या किसी और के साथ में निम्नलिखित के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा:
 - (i) चिट फंड के कारोबार के लिए, अथवा
 - (ii) निधि कंपनी, अथवा
 - (iii) कृषि अथवा वृक्षारोपण कार्यकलाप अथवा स्थावर संपदा अथवा फार्म हाउस के निर्माण, अथवा

(1)

- (iv) अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में व्यापार, अथवा
- (v) मार्जिन ट्रेडिंग और व्युत्पन्न सहित पूंजी बाजार में निवेश
- (ख) ऐसे अग्रिमों के संबंध में रिज़र्व बैंक के निदेशों का विधिवत् अनुपालन किया जाएगा;
- (ग) ऋण राशि एनआरई/एफसीएनआर(बी) खातों में जमा नहीं की जाएगी;
- (घ) ऋण राशि का प्रेषण भारत से बाहर नहीं किया जाएगा:
- (ङ) ऋण की चुकौती सामान्य चैनलीं द्वारा भारत के बाहर से विप्रेषणों में से अथवा एनआरई/एफसीएनआर (बी)/एनआरओ खातों में नामे डालकर की जाएगी।''

[सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड- []]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली मई 3, 2000 की सं. सा.का.नि. 387(अ) के अनुसार राजकीय राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थीं और तत्पश्चात् नवंबर 27, 2000 के सं. सा.का.नि. 90(अ) और अगस्त 20, 2002 के 754(अ) द्वारा संशोधित की गई।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th March, 2004

No. FEMA. 115/2004-RB

Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 351(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (3) of Section 6 and Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 4/2000-RB dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulation, 2000, namely:—

1. Short title and commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Amendment) Regulations, 2004.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations 2000, in Regulation 7, the following amendments shall be made, namely:—

- (i) the title shall be substituted as "Loans in Rupees to non-residents"
- (ii) after Sub-regulation (B) the following Sub-regulation shall be inserted, namely:
 - "(C) for any purpose as per the loan policy laid down by the Board of Directors of the Authorised Dealer: Provided that:
- (a) the loan shall not be utilised either singly or in association with other person for
 - (i) the business of chit fund, or
 - (ii) Nidhi Company, or
 - (iii) agricultural or plantation activities or in real estate business or construction of farm houses, or
 - (iv) trading in Transferable Development Rights (TDRs), or
 - (v) investment in capital market including margin trading and derivatives.
- (b) the Reserve Bank's directives on such advances shall be duly complied with;
- (c) the loan amount shall not be credited to NRE/FCNR(B) accounts;

- (d) the loan amount shall not be remitted outside India;
- (e) repayment of loan shall be made from out of remittances from outside India through normal banking channels or by debit to NRE/FCNR(B)/NRO accounts."

[No. 1/23/EC/2000-Vol. II]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 387(E) dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* G.S.R. Nos. 90(E) dated November 27, 2000 and 754(E) dated August 20, 2002.

अधिसूचना

मुंबई, 25 मार्च, 2004

सं. फेमा. 116/2004-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 352(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (क) और उप-धारा (3), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 को संशोधित करता है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।
- (ii) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमों में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में विनियम 4 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

- (i) खंड (घ) में ''मूल्य में पच्चीस हजार रुपये'' शब्दों के लिए ''मूल्य में पच्चीस हजार अमरीकी डॉलर'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,
- (ii) खंड (ङ) में ''मूल्य में एक लाख रुपये'' शब्दों को ''मूल्य में पांच लाख रुपये'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड- II]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली मई 3, 2000 की सं. सा.का.नि. 409 (अ) के अनुसार राजकीय राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थीं और तत्पश्चात् फरवरी 27, 2001 के सं. सा.का.नि.199(अ), अप्रैल 1, 2002 के 473(अ), अगस्त 27, 2003 के 773(अ) और अक्तूबर 29, 2003 के 900(अ) द्वारा संशोधित की गई।

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th March, 2004

No. FEMA 116/2004-RB

Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 352(E) .—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) and Sub-section (3) of Section 7, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 23/2000-RB dated 3rd May, 2000, Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely —

1. Short title and commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2004.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 in Regulation 4, the following amendments shall be made, namely:—

- (i) in clause (d), for the words "twenty five thousand rupees in value" the words "twenty five thousand USD in value" shall be substituted,
- (ii) in clause (e), for the words "one lakh rupees in value" the words "five lakh rupees in value" shall be substituted.

 [No. 1/23/EC/2000-Vol.-II]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 409(E) dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* Nos. G.S.R. 199(E) dated February 27, 2001, 473(E) dated April 1, 2002, 773(E) dated August 27, 2003 and 900(E) dated October 29, 2003.